



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55490

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 6977/2025

राजकुमार यादव उर्फ राज कुमार सिंह यादव एवं 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 53

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची संशोधित की गई।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिवेणी सरन राय को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
3. सीआर.पी.सी. की धारा 482 के तहत यह अर्जी दायर की गई है। इसमें शिकायत प्रकरण संख्या 35213/2024 श्रीमती बविता यादव बनाम राज कुमार यादव और अन्य की पूरी कार्यवाही और 20.11.2024 के समन आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यह प्रकरण फिरोजाबाद के अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में चल रहा है और इसमें आईपीसी की धारा 498A, 323, 504, 506 के तहत आरोप हैं थाना नरखी, जिला फिरोजाबाद साथ ही, यह भी मांग की गई है कि इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान इस केस की आगे की पूरी कार्यवाही और समन आदेश पर रोक लगाई जाए।
4. पक्षों के बीच विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के प्रयास हेतु, 04.03.2025 के आदेश के माध्यम से मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. मध्यस्थता केंद्र की 30.7.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। पति और पत्नी ने एक साथ रहने का निर्णय लिया है और वे खुशी से साथ रह रहे हैं। इसके अलावा, वे इस समझौते के तहत अपने लंबित मामलों को वापस लेने के लिए भी सहमत हुए हैं।
6. 17.7.2025 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र की एक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है, जिसमें कहा गया है कि पक्षों के बीच मध्यस्थता सफल रही है।
7. याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि दोनों पक्षों के बीच यह बात आम सहमति से तय हो गई है कि उन्होंने विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया है। पति-पत्नी ने साथ रहने का फैसला किया है और वे खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं। इसलिए, इस कोर्ट के मध्यस्थता और सुलह केंद्र में हुए समझौते के आधार पर विवादित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
8. राज्य के विद्वान वकील को उक्त प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।
9. इस कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि उस आदेश के तहत मीडिएशन की कार्यवाही शुरू की गई थी, जो पार्टियों के बीच 30.7.2025 को हुए समझौते पर खत्म हुई। यह समझौता उसमें बताई गई शर्तों और नियमों के आधार पर हुआ और मध्यस्थता सफल रहा; पति-पत्नी ने साथ रहने का फैसला किया है और वे खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं। पार्टियों ने अपनी शिकायतों और इस मामले से जुड़े विवाद को भी सुलझा लिया है। पार्टियां अपने बीच चल रहे केस वापस लेने पर सहमत हो गई हैं; इस बात का जिक्र मध्यस्थता रिपोर्ट के पैरा 7(ड) में किया गया है।
10. पार्टियों के बीच हुए समझौते के आधार पर केस रद्द करने से जुड़ा कानून पूरी तरह से तय है। सुप्रीम कोर्ट ने **(1) बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य: (2003)4 एससीसी 675;** **(2)**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निखिल मर्चेट बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन: (2008) 9 एससीसी 677; (3) मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य: (2008) 16 एससीसी 1; (4) ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य: (2012) 10 एससीसी 303; (5) सैफुल्ला और अन्य बनाम U.P. राज्य और अन्य: 2013 (83) एससीसी 278 और (6) पर्वतभाई अहीर उर्फ पर्वतभाई उर्फ भीमसिंभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य: (2017) 9 एससीसी 641 जैसे मामलों में यह माना है कि जिन मामलों में पार्टियों ने अपनी शिकायतों का निपटारा कर लिया है, उन्हें रद्द किया जा सकता है।

11. पत्रावली के अध्ययन और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखने के बाद, यह मामला इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही या समन आदेश को रद्द करने की शक्ति का उपयोग करने के लिए उपयुक्त है, जैसा कि आवेदक द्वारा प्रार्थना की गई है।

12. वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13. इस मामले की कार्यवाही और समन आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

(न्यायमूर्ति समिति गोपाल)

18 मार्च 2026

नरेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”